न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 35 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मोहम्मद इकबाल पुत्र लाडशाह जाति मुसलमान निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा। 2 सुलेमान पीर साहब व तकिया एवं मदरसा (राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ) कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 3 इब्राहिम खान पुत्र मुनवर खान जाति कायमखानी मुसलमान निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से।
2. ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से।
3. श्री पीर मोहम्मद खान अधिवक्ता, रेस्पोडेंन्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 04.01.2024

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मुण्डवा मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 6540 निर्णय दिनांक 04.01.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.09.2021 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी इब्राहिम खान पुत्र मुनवर खान जाति कायमखानी मुसलमान निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर की ओर से दिनांक 25.04.2022 को एक प्रार्थना पत्र ओदश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थी को बतौर रेस्पोडेंट संख्या 03 प्रकरण में पक्षकार बनाने बाबत् पेश किया, जिसको बाद सुनवाई दिनांक 01.12.2022 को प्रकरण में बतौर रेस्पो. संख्या 03 पक्षकार बनाया गया, उनकी ओर से श्री पीर मोहम्मद अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा कुचेरा के नामान्तरण संख्या 6540 दिनांक 04.01.2021 के फोटोप्रति, सूचना चाहने के लिए आवेदन पत्र की फोटोप्रति, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर के पत्र क्रमांक 3043 दिनांक 26.07.22 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेंट संख्या 03 ने न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 नागौर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 नागौर में प्रस्तुत आवेदन अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 नागौर में अपीलांट मोहम्मद इकबाल के प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 नागौर के प्रकरण संख्या 12 / 17 के आदेश दिनांक 29.01.2020 की फोटोप्रति, माननीय राजस्थान वक्फ अधिकरण, ज्योति नगर जयपुर के वाद की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 नागौर में उजरदार जवरूदीन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की फोटोप्रति पेश की गई। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेंट संख्या 03 द्वारा दिनांक 11.09.2023 को एक प्रार्थना पत्र आदेश नियम 11 सीपीसी का पेश किया, जिसका अपीलांट ने जवाब न देकर सीधे ही बहस की। जिस पर विवेचन / विश्लेषण एवं निष्कर्ष मूल अपील के निर्णय के साथ ही किया जा रहा है। वकील रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अपने प्रार्थना पत्र मे बताया कि वक्फ भूमि के संबंध मे अथवा मुस्लिम वक्फ सम्पति के संबंध मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर को है अन्य किसी न्यायालय को धारा 85 वक्फ अधिनियम के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है तथा उक्त समस्त तथ्यो की जानकारी अपीलांट मोहम्मद इकबाल को है फिर भी उसने उक्त तथ्य छुपाकर उक्त अपील पेश की। उक्त प्रकरण सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है तथा अपने कथन के समर्थन में वक्फ अधिनियम

अपर कलक्टर, नागौर

1995 पेज–7, सिविल कोर्ट केसेज 2017(4) पेज 333 से 336, सिविल कोर्ट केसेज 2020(2) पेज 609 से 614 तथा सिविल कोर्ट केसेज 2019(3) पेज 23 से 24 नजीरे पेश की। वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे बताया कि आराजी भूमि राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर की नही होने से न्यायालय हाजा को प्रकरण की सुनवाई का अधिकार है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट द्वारा अपील हाजा शुद्वि पत्र दिनांक 20.01.2020 बाबत तथ्य अन्तवर्लित कर पेश की हैं, जिस शुद्वि पत्र की पूर्व में कोई जानकारी व सूचना अपीलांट को नहीं रही। कस्बे में चर्चा होने पर अपीलांट के द्वारा तहसीलदार मुण्डवा के कार्यालय में जाकर शुद्वि पत्र म्यूटेशन की नकल के लिए आवेदन किया और उक्त नकल मिलने पर अविलम्ब उक्त म्यूटेशन के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट को बिना सूचना दिये, अपीलांट को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये, बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के दिनांक 04.01.2021 को म्यूटेशन संख्या 6540, स्वीकृत करते हुए उक्त भूमि को सुलेमान पीर साहब व तकिया एवं मदरसा (राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ) के नाम से दर्ज करते हुए खातेदारी में परिवर्तन कर दिया। उक्त म्यूटेशन की जानकारी अपीलांट को उस समय नहीं हो सकी और अभी हाल ही में म्यूटेशन जेर अपील की जानकारी दिनांक 11.07.2021 को होते ही नकले प्राप्त की व अविलम्ब अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद पेश गई। जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है।

{2}(II)– आलौच्य म्युटेशन आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं उसके तहत बने राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियमों के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलौच्य आदेश पारित किये जाने से पूर्व इस विवादित भूमि के खातेदार एवं उसके विधिक उतराधिकारियों को किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया है और भूमि के खातेदार एवं उसके विधिक उतराधिकारियों को बिना सुने, उनके विरूद्व आलौच्य आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया है, जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि की खातेदारी लाडशाह पुत्र शोकिनशाह होना स्वीकृत स्थिति थी और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि की खातेदारी में दर्ज प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किये जाने से पूर्व खातेदार या उसके विधिक उतराधिकारियों को नोटिस जारी करके, सुनवाई का अवसर प्रदान कर, साक्ष्य सबूत व जबावदेही का पर्याप्त समय व अवसर प्रदान करने के बाद ही आदेश पारित करना था परन्तु अधीनस्थ विद्वान तहसीलदार मुण्डवा के द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी और एकपक्षीय रूप से उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(V)– विवादित भूमि के खातेदार लाडशाह पुत्र शोकीनशाह का देहान्त वर्ष 1997 में हो चुका है और उसका विधिक उतराधिकारी अपीलांट ही है। उक्त भूमि की खातेदार आज भी लाडशाह के नाम से दर्ज है परन्तु खातेदार में किसी भी परिवर्तन किये जाने से पूर्व विधिनुसार खातेदार को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में खातेदार की मृत्यु के संबंध में बिना किसी प्रकार की जांच किये ही मृत खातेदार के खिलाफ उक्त आदेश पारित किया गया है, इस प्रकार उक्त आलौच्य आदेश मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित होने से इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VI)– विवादित भूमि की खातेदारी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व किसी सक्षम न्यायालय का कोई निर्णय व डिक्री जारी नहीं की गयी थी तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित व स्वीकृत म्युटेशन क्षेत्राधिकार से परे होने से इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VII)–अपीलांट के पिता लाडशाह की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 1.8211 हैक्टेयर खसरा संख्या 18 रकबा 1.8211 हैक्टयर व खसरा संख्या 232 रकबा 1.9425 हैक्टयर ग्राम कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर की राजस्व सीमा में स्थित रहती चली आयी है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में अपीलांट के पिता लाडशाह पुत्र शोकीन शाह के नाम से दर्ज रहती चली आयी है। उक्त

अपर कलक्टर, नागौर

भूमि के खातेदार लाडशाह का दिनांक 18.12.1997 को देहान्त हो चुका है। खातेदार लाडशाह के कोई जायन्दा संतान नहीं होने से सन 1989 में उन्होने अपने भाई गुलाम मोहम्मद के पुत्र अपीलांट मोहम्मद इकबाल को गोद लिया और उसको कुचेरा लेकर आ गया था। अपीलांट अपने गोद पिता के साथ ही निवास करता था और उनकी सेवा चाकरी करता था। सन 1991 में लाडशाह के द्वारा पारिवारिक व सामाजिक रीति रिवाज अनुसार अपीलांट को गोद लिया था जिसकी लिखापढी भी की गयी है। जिसके बाद सन 1994 में लाडशाह के द्वारा एक स्टाम्प पेपर खरीद कर परिवार व अन्य गवाहों के समक्ष अपनी स्वैष्छा से अपनी जायदाद अपने गोद पुत्र मोहम्मद इकबाल के नाम से बख्शीश करते हुए बख्शीशनामा स्टाम्प पर निष्पारित किया गया है। जिसके बाद सन 1995–96 में स्व. लाडशाह का परिवार कार्ड भी बनाया गया है जिसमें भी लाडशाह मुखिया के रूप में दर्ज होकर उसमें मोहम्मद इकबाल को पुत्र बताया गया है। जिसके बाद में परिचय पत्र भी अपीलांट को बनाया गया है। सन 1997 में खातेदार लाडशाह का देहान्त हो गया। जिसके बाद उपरोक्त खातेदारी की भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार काबिज अपीलांट ही है। अपीलांट के अतिरिक्त अन्य कोई उक्त भूमि का खातेदार नहीं है। जिससे उक्त भूमि का विधिनुसार खातेदार काश्तकार होने एवं मौके पर बतौर खातेदार कब्जा काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा होने से भूमि का हितग्राही अपीलांट का ही है तथा खातेदार लाडशाह का विधिक उतराधिकारी एकमात्र अपीलांट ही होने से उक्त अपील पेश करने के लिए अपीलांट को पूर्व अधिकार प्राप्त है। अपीलांट के अलावा इस विवादित भूमि का अन्य कोई काबिज काश्तकार नहीं है और न ही खातेदार लाडशाह का कोई विधिक उतराधिकारी है।

{2}(VIII)– रेस्पोडेंट के द्वारा स्वीकृत म्युटेशन जिस सुलेमान पीर साहब व तकिया एवं मदरसा (राजस्थान बॉर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ) के नाम से स्वीकृत किया है वस्तुतः राजस्थान बॉर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के तहत ऐसी कोई संस्था है ही नहीं द्वितीय में वक्फ सम्पति के नोटिफिकेशन में भी उक्त विवादित भूमि खसरा संख्या 17, 18, 232 का कोई उल्लेख तक नहीं है। वक्फ सम्पति के नोटिफिकेशन में अपीलांट की उक्त भूमि का कोई उल्लेख नहीं होते हुए भी बिना नोटिफाइड हुए ही सम्पति का गलत अवैध व बिना किसी वैधानिक अधिकार के इस प्रकार से काल्पनिक संस्था के नाम से दर्ज करने के लिए रेस्पोडेंट संख्या 1 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जिस प्रकार से बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना किसी युक्तियुक्त आधार के उक्त भूमि को इस प्रकार वक्फ के नाम से दर्ज करके विधि की भूल की है जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज होने योग्य है।

{3} वकील रेस्पोडेंट संख्या 03 ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त भूमिया वर्तमान खेत खसरा संख्या 17 रकबा 1.8211 हैक्टेयर, खसरा संख्या 18 रकबा 1.8211 हैक्टेयर व खसरा संख्या 232 रकबा 1.9425 हैक्टयर ग्राम कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर वक्फ सम्पति है और वक्फ अधिकरण जयपुर में उपरोक्त सम्पतियों के संबंध में घोषणा का दावा बअनवान मुस्लिम विकास समिति बनाम मोहम्मद इकबाल प्रकरण संख्या 5/2015 विचाराधीन है। स्वयं अपीलांट ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नागौर में उतराधिकार के लिए वाद पेश किया था, जो खारिज हो चुका है। उपरोक्त सम्पति वक्फ की सम्पति होने से रेस्पोडेंट जो कि वक्फ सम्पति के लिए अधिकृत व्यक्ति है उसने तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष आवेदन पेश करके उपरोक्त खेताय को वक्फ के नाम दर्ज करने के लिए कार्यवाही की थी जो कि विधिसम्मत है जिसमें तहसीलदार मुण्डवा के द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की है। अपीलांट का कोई हित वं अधिकार नहीं होने से उसको सुना जाना आवश्यक नहीं था। अपीलांट की अपील खारिज होने योग्य है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मुण्डवा मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 6540 निर्णय दिनांक 04.01.2021 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा दिनांक 11.09.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया, जिसपर बहस सुनी गई एवं आदेश आदेश 07 नियम 11 सीपीसी अवलोकन किया गया, उक्त प्रावधान वादपत्र के अस्वीकार करने के संबंध में है, अपील के संबंध उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होते है एवं इसके अलावा तहसीलदार के द्वारा जारी नामान्तरण आदेश के खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनादिनांक 11.09.2023 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में शुद्वि पत्र संख्या 2 दिनांक 10.01.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्याययालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट तहसीलदार मुण्डवा को रही है, जो राजस्व अपील संख्या 13/2020 बअनवान मोहम्मद इकबाल बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 27.07.2021 को निर्णित की जा चुकी है। इस अपील के विचाराधीन रहने के उपरांत भी तहसीलदार मुण्डवा के द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये,

अपर कलक्टर, नागौर

बिना साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया। इसके अलावा उपरोक्त भूमि सुलेमान पीर साहब व तकिया एवं मदरसा (राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ) के नाम से दर्ज करने के लिए कोई वैधानिक दस्तावेज तहसीलदार मुण्डवा के पास उपलब्ध नहीं था। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ द्वारा जारी अधिसूचना सितम्बर 1965 के अन्तर्गत सर्वे रिपोर्ट में उपरोक्त विवादित खेताय का उल्लेख नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा उपरोक्त खेताय को वक्फ की सम्पति घोषित करने के लिए वक्फ अधिकरण जयपुर में वाद प्रस्तुत कर रखा है और अधिकरण के द्वारा अभी तक इन खेताय को वक्फ की सम्पति घोषित करने की डिक्री जारी नहीं की है। इस प्रकार विवादित खेताय वक्फ की सम्पति होने बाबत कोई अधिसूचना, न्यायालय का निर्णय व डिक्री के बिना भी तहसीलदार मुण्डवा के द्वारा जो नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया के पालना के भरा जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डवा मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 6540 निर्णय दिनांक 04.01.2021 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर, विधिक वारिसान की जांच कर, दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर